

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2021 जनपद देवरिया।

चुनाव में अशान्ति फैलाने वालों के विरुद्ध अभियान जारी, विभिन्न अपराधों में कुल 68 व्यक्ति गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए भट्टियों व लहन को किया गया नष्ट।

गिरफ्तार अभियुक्तों को विवरण—

01. विभिन्न मुकदमों में वांछित अभियुक्त— 01 अभियुक्त
02. विभिन्न थानों में आबकारी अधि० में कुल—16 अभियुक्त
03. विभिन्न थानों में निरोधात्मक कार्यवाही में कुल—51 अभियुक्त
04. वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही—01 अभियुक्त

बरामदगी—

01. अवैध कच्ची शराब— 250 ली०।
02. शराब भट्टी— 04 नष्ट
03. लहन— 50 कुंतल नष्ट

विवरण—

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल व शान्तिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक देवरिया डा० श्रीपति मिश्र द्वारा दिनांक 08.04.2021 से जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को चुनाव में अशान्ति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने एवं अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिये थे। जिसके परिपेक्ष्य में दिनांक 08.04.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 105 अपराधियों, दिनांक 09.04.2021 को 112 अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी, इसी क्रम में दिनांक 10.04.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गयी है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के 01 वांछित अभियुक्त तथा निरोधात्मक कार्यवाही में 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत कुल 15 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 250 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए कुल 04 भट्टियों व 50 कुंतल लहन को नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक ने चुनाव के दृष्टिगत इस अभियान को निरन्तर चलाये रखने के निर्देश दिये हैं। जिससे चुनाव को सकुशल व शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराया जा सके।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2021 जनपद देवरिया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत देवरिया पुलिस द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 09.04.2021 तक हत्या, लूट, डकैती, चोरी, पशु तस्करी एवं अवैध शराब तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त 50 कुख्यात अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया जिसका थानावार विवरण निम्नवत है।

➡थाना कोतवाली से गिरोह बनाकर चोरी जैसे अपराध कारित करने वाले 07 अभियुक्तों क्रमशः परशुराम यादव पुत्र नर्वदा, दीलीप यादव पुत्र विजय यादव निवासीगण-राघवपट्टी टोला फेलहा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर, दीनानाथ यादव पुत्र महंथ यादव निवासी-माड़ापार थाना खोराबार गोरखपुर, मोनू शर्मा पुत्र विश्राम निवासी-पटनी थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर, राकेश यादव पुत्र लालबहादुर निवासी-पिडरा थाना-हाटा कुशीनगर, अजय मौर्य पुत्र कोमल निवासी-चनगही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर, अखिलेन्द्र यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी-पिपरपाती थाना हाटा कुशीनगर तथा हत्या का प्रयास व लूट जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 03 अभियुक्तों क्रमशः सोनू डोम पुत्र भोला निवासी-नगर पालिका रोड थाना कोतवाली जनपद देवरिया, शिव डोम पुत्र सुरेन्द्र डोम निवासी-कांशीराम आवास थाना कोतवाली देवरिया, मंगेश उर्फ मंगेश तिवारी पुत्र तारकेश्वर निवासी-बुद्ध बिहार कॉलोनी भुजौली थाना कोतवाली जनपद देवरिया के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➡थाना रामपुर कारखाना से गिरोह बनाकर मादक पदार्थ जैसे अपराध कारित करने वाले 04 अभियुक्तों क्रमशः लक्ष्मण शाह पुत्र महावीर शाह निवासी-अमवा नकछेद थाना-गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार, जगलाल कुशवाहा पुत्र राधाकिशुन निवासी-परोरही थाना-बरवापट्टी जनपद कुशीनगर, रईतु खातुन पत्नी रियासत देवान निवासी-गौराशिला थाना-विशुनपुरा जनपद कुशीनगर, रूबी खातुन पत्नी कलामुद्दीन निवासी-गौरशिला थाना-विशुनपुरा जनपद कुशीनगर के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➡थाना बघौचघाट से गिरोह बनाकर चोरी जैसे अपराध कारित करने वाले 03 अभियुक्तों क्रमशः अशोक चौहान पुत्र बनारसी चौहान निवासी-फरासचक थाना बघौचघाट जनपद देवरिया, विकास उर्फ रसगुल्ला पुत्र श्रवण बांसफोर निवासी-पूर्वी राम गुलाम टोला थाना कोतवाली देवरिया, हसनैन अंसारी पुत्र हारुन अंसारी निवासी-विशुनपुरा बाजार थाना बघौचघाट जनपद देवरिया के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➡थाना गौरीबाजार से गिरोह बनाकर लूट, डकैती, मारपीट जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 13 अभियुक्तों क्रमशः 01.बिरज प्रताप राव पुत्र राणा प्रताप 02.रणधीर प्रताप पुत्र भानू प्रताप 03.धीरज प्रताप पुत्र राणा प्रताप 04.विकास राव पुत्र स्व0 विजय सिंह 05.प्रिस राव पुत्र प्रेमनरायण सिंह सा0 बखरा थाना गौरीबाजार, देवरिया 06.प्रशान्त सिंह पुत्र रामप्रकाश सिंह सा0 कुडाघाट थाना कैण्ट गोरखपुर 07.अवधेश यादव पुत्र मदन सा0 बरपार बरवां थाना रामपुर का0 देवरिया 08.कामेश्वर यादव उर्फ मल्लू यादव पुत्र विश्वेश्वर सा0 पननहा इन्दूपुर थाना गौरीबाजार देवरिया 09.मोहसिन उर्फ सोनू पुत्र मुलदा शेख सा0 महुआबारी थाना कोतवाली देवरिया 10.विकास निषाद उर्फ भोलू निषाद पुत्र रघुवर सा0 सिरजम थाना गौरीबाजार देवरिया 11.अजय यादव पुत्र महेन्द्र सा0 रामपुर हीरामन थाना रा0का0 देवरिया 12.एकलाख वारसी पुत्र हस्मुद्दीन बेग सा0 भटवलिया बरपार थाना रामपुर का0 देवरिया 13.अभिषेक वर्मा पुत्र शिवअवतार वर्मा सा0 गौरीबाजार हाटा रोड थाना गौरीबाजार देवरिया के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

►थाना मदनपुर से गिरोह बनाकर हत्या जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 04 अभियुक्तों क्रमशः 01. पवन गुप्ता पुत्र गिरधारी सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया 02.राजू कुमार पुत्र आनन्द कुमार सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया 03.महेन्द्र गुप्ता पुत्र गिरधारी सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया 04.सूरज यादव पुत्र रामपरीक्षा यादव सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

►थाना लार से गिरोह बनाकर हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु निर्मित अंग्रेजी शराब की उ0प्र0 व बिहार राज्य में तस्करी करने जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 02 अभियुक्तों क्रमशः 01.दीपक कुमार पुत्र जयनरायन सा0 बराही थाना लाइनपार जिला झज्जर हरियाणा 02.नवीन पुत्र दिलबाग सा0 साखौल थाना सेन्टर-2 जिला झज्जर हरियाणा तथा गिरोह बनाकर गौवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों क्रमशः 01.मनोज कुमार पुत्र अशोक कुमार सा0 गवालिसन थाना बैरी जिला झज्जर, हरियाणा 02.करन पाल पुत्र सत्यवान सा0 टाड़ी फोगट थाना ददरी जिला भिवानी, हरियाणा के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

►थाना मईल से गिरोह बनाकर गौवंशीय पशुओं की तस्करी जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 04 अभियुक्तों क्रमशः 01.विनोद यादव पुत्र स्व0 बैजन्ती सा0 सुल्तानपुर घुघुरी थाना सरपतहा जिला जौनपुर 02.मेराज अहमद पुत्र समिरा सा0 बदला चौराहा थाना मल्हीपुर जिला श्रावस्ती 03.मो0 साहिन अहमद पुत्र मो0 इरसाद मियां सा0 अरगूपुर थाना शाहगंज जिला जौनपुर 04.बृजेश यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र रामधनी यादव सा0 कोहड़ा थाना शाहगंज जिला जौनपुर के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

►थाना खामपार से गिरोह बनाकर अपहरण जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 08 अभियुक्तों क्रमशः 01.नीतीश पाठक पुत्र कृपाशंकर सा0 बढपुरवा थाना भलुअनी, देवरिया 02.दीपक शाही पुत्र अभय कुमार सा0 व थाना खामपार, देवरिया 03.आदित्य तिवारी उर्फ सैन्डिल पुत्र स्व0 विशुन दयाल सा0 सवरेजी थाना खामपार, देवरिया 04.भरत भूषण पुत्र बलवन्त सिंह सा0 अजयपुरा थाना मदनपुर, देवरिया 05. जयशंकर प्रसाद पुत्र ब्वासमुनि सा0 बंजरिया थाना खुखुन्दू, देवरिया 06.अखिलेश मिश्रा पुत्र नागेन्द्र सा0 बीजापुर झंगटौर थाना खुखुन्दू, देवरिया 07.रामकुमार यादव पुत्र बिल्लर सा0 पिपरी उर्फ बन्दी थाना खुखुन्दू, देवरिया 08.मनोज यादव पुत्र कन्हैया सा0 करौदी थाना भलुअनी, देवरिया।के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।